

जिसकी वजह से कमजोर तबके को परेशानी हुई। स फसाद से पहले 14 फरवरी, 1987 को दिल्ली में एक फसाद हुआ था जिसमें दो नौजवान मरे थे। इसकी एफ० आई० आर० के अंदर जिन फिरकापरस्तों का नाम था, आज तक उन फिरकापरस्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी तरह की कई एफ० आई० आर० हैं जिनमें कि दिल्ली में अमन को बिगाड़ने के लिए फिरकापरस्तों की हरकतों का जिक्र आया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। 19 मई और उसके बाद की वारदातों में जो फिरकापरस्त शामिल हैं, वे आज़ाद घूम रहे हैं। मुझे आफ़स है कि कुछ ऐसे बेग़नाह नौजवानों को गिरफ्तार कर के जेलों में डाल दिया है जो हमेशा फिरकापरस्ती के खिलाफ लड़ते रहे हैं। इनमें एक ऐसा शख्स भी है जो दिल का मरीज है। मैं मुतालबा करता हूँ कि बेग़नाहों को फौरन छोड़ा जाये और जो जिम्मेदार हैं उनको फौरन गिरफ्तार किया जाये। इसके साथ-साथ मैं मांग करूँगा कि जो मजहब के नाम पर सेनाएं हैं और फिरकापरस्त संजोमें हैं, उन पर पाबंदी लगायी जाये और इस बात की कोशिश की जाये कि गुजिस्ता 6 महीने के अंदर धार्मिक स्थानों पर खड़े होकर जिन्होंने तकरीरें की हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और यह रिकार्ड सी० आई० डी० अमले से मंगाया जा सकता है।

दूसरी चीज जो 15 आदमी मरे हैं और सैकड़ों जख्मी हुए हैं या जिनकी अमलान को नुकसान पहुंचा है उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाये ताकि दिल्ली के अंदर एक अमन और शांति की भावना पैदा हो सके। मैं समझता हूँ कि आज शायद 40 साल के अंदर यह पहला मौका है जब दिल्ली के अंदर दो महीने से ज्यादा कर्फ्यू लगा, तमाम कारोबार बंद हो गया और जो गरीब तबका है, वह बुरी तरह मुतास्सिर हुआ है। आज दिल्ली के अंदर एक नयी चीज बनी हो गयी है कि मुसलमान

हिन्दुओं के इलाके में और हिन्दु मुसलमानों के इलाके में आने से डरता है। इस भावना को तोड़ने के लिए हमें अमन कमेटियाँ बनाकर हजारों वर्ष की जो आपस की प्यार और मोहब्बत की भावना है, उसको फिर से कायम किया जाये। मैं एक बार फिर मुतालबा करूँगा कि इन फिरकापरस्तों के खिलाफ जो स्टालेंज तकरीरें करते हैं, जो आवाज के जजबात से खिलवाड़ करते हैं, कार्यवाही नहीं की गयी तो दिल्ली के अंदर हमें इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इन अलफाज के साथ, मैं आपको धन्यवाद अर्पण करता हूँ।

#### ACUTE DROUGHT CONDITIONS IN GUJARAT

SHRI RAOOF VALIULLAH (Gujarat): Sir, Gujarat today is reeling under the impact of the worst ever drought to have been experienced in this century because this is the third successive year of scarcity and the people of Gujarat are suffering for want of drinking water. Lakhs of people are employed in the scarcity relief works and they want gainful employment. Sir, the delay in setting of the monsoon this years has further aggravated the situation. Shortage of drinking water is felt in several parts of the State, particularly Saurashtra, North Gujarat and Kutch. Even those areas which were not declared as scarcity-affected last year are facing the problem of drinking water.

Sir, the position of fodder for the cattle has become very bad. Whatever stock of grass was available from Bulsar—that is the grass-producing district in the State—has also been lifted and consumed. In view of this, the State Government has already incurred an expenditure of Rs. 152.39 crores up to the end of 15th June, 1987. Expenditure during the period from 16th June, 1987 to 31st July, 1987 is estimated to be Rs. 100.42 crores. Thus the total expenditure by the end of July 1987 will be to the tune of Rs. 252.81 crores.

Sir, I would like to submit the following: As the relief works will have to be continued, we will require more funds for the

[Shri Raoof Valiullah]

same. As 50 per cent of the wages are to be paid in the form of wheat, the State Government has requested the Government of India to sanction an additional one lakh metric tonnes of wheat which includes our requirement of 34,000 metric tonnes of wheat for the month of July 1987 and another 34,000 metric tonnes for this month.

Sir, the State is in need of grass for the cattle of the scarcity-affected areas of the State. It has requested other State Governments, but other State Governments are also facing the same difficulty and I think the Government of India will have to evolve a policy whereby grass can be lifted from other States and sent to Gujarat.

Sir, damaged wheat is also available in Punjab. This damaged wheat is useful as cattlefeed. We require help from the Central Government in getting this wheat from Punjab.

Lastly, the Government has given a master plan for dealing with scarcity conditions. I would request the honourable Minister for Agriculture to send another team. One team was sent in January 1987. Since a Cabinet Sub-Committee on Drought Situation has been constituted by the Prime Minister only yesterday, I would now request the Government to send a high power team to assess how and in what manner they can be helpful to the State of Gujarat.

Thank you.

#### NEED TO LIFT BAN ON 'KHOYA' IN DELHI

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) :

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बलीरल्लाह साहब के सूख पर लिए गए स्पेशल मेशन का समर्थन करता हूँ और फिर अपना स्पेशल मेशन करता हूँ।

श्रीमन्, मेरा स्पेशल मेशन दिल्ली में खोए पर लगाई गई पाबंदी के बारे में है। इसके बारे में मैं केंद्रीय सरकार और उषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो पाबंदी है वह दिल्ली मिल्क स्कीम को दूध लिए लाने के लिए लगाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार इस सवाल को मैंने उठाया और दिल्ली मिल्क स्कीम को गरमी में दूध की कमी न हो, इसके लिए खोए और खोए की मिठाई पर मई और जून के महीने में पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन इस बार यह पाबंदी मई और जून में ही नहीं, जूलाई और अब अगस्त में भी जारी है और इसको तीन बार बढ़ा दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में खोया बनाने पर से पाबंदी उठा ली गई है, हरियाणा में उठा ली गई है लेकिन दिल्ली में खोया लाने पर पाबंदी है, और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से चोरी छिपे, अष्टाचार के जरिए, पुलिस के जरिए से खोया लाया जा रहा है। यदि दूध की कमी है तो जो मिल्क पाउडर बनाया जाता है उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती है? जो आइस क्रीम बनती है उस पर पाबंदी क्यों नहीं है? कुल्फी पर पाबंदी क्यों नहीं है? तमाम बड़े बड़े होटलों में सब चीजें मिलती हैं, बर्फी मिलती है, वह कहाँ से आती है? तो अष्टाचार से ये चीजें आ सकती हैं तो इन पर पाबंदी क्यों नहीं उठाई जाती? औरतों का त्योहार तीज गया, कल ईद, फिर रक्षा बंधन है, फिर जन्माष्टमी है और आप खोए पर पाबंदी लगाए रखेंगे तो इससे लोगों में बेचैनी है। मैंने उषि मंत्री जी और मकवाना साहब से, बंगीरल चौहान से भी बात की है। उन कहते हैं कि दिल्ली प्रशासन का काम है हम तो आदेश हटा सकते हैं। दिल्ली प्रशासन वाले कहते हैं हमने इस पर सोचा नहीं है। लाने पर पाबंदी है और लाने की पाबंदी को हटाया नहीं जा रहा है। इससे बड़ी बेचैनी हो रही है। कई समाचार पत्रों में छग भी है कि अगर यह पाबंदी शीघ्र नहीं हटी तो जन-आन्दोलन शुरू हो जाएगा। छोटे-छोटे सवालियों के लिए जन-आन्दोलन करना पड़ता है। मेरा यह अनुरोध है कि तुरन्त इस खोये पर से पाबंदी हटायी जाये। इससे जो अष्टाचार है वह भी कम हो जायेगा। दूध की इतनी